(नियम–26)

# अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

| प्रार्थी / वादी | बनाम | विप्रार्थी / प्रतिवादी |
|---|---|---|
| आम जनता ग्राम पंचायत राजड़ाल जरिये राजुदान पुत्र गोरखदान जाति चारण, निवासी राजड़ाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | तहसीलदार शिव वगैरा (02) |

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (81) मुकदमा नम्बर 131/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26.11.2021 | | |

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कि मौजा राजड़ाल, पटवार मण्डल राजड़ाल तहसील शिव के खसरा नम्बर 357/245, 358/245, 359/245 रकबा क्रमशः 1.6187, 0.8056, 1.6187 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 245 रकबा 16.3736 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि की तरमीम लट्ठा नक्शा में आवंटन के समय ही कर दी गई थी। कि खसरा नम्बर 357/245, 358/245, 359/245 रकबा क्रमशः 1.6187, 0.8056, 1.6187 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि के ग्राम पंचायत राजड़ाल द्वारा पट्टे भी जारी किये हुए है तथा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भूमि आबादी भूमि होने के संबंध में प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है एवं तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा भूमि विवादरहित होने का भी प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 357/245, 358/245, 359/245 व खसरा नम्बर 245 की भूमि की तरमीम पूर्व में की गई तरमीम एवं मौके के विपरीत कर दी गई है। जिससे ग्राम पंचायत राजड़ाल के पट्टाधारी आमजन को आबादी भूमि के बजाय गैर मुमकिन गोचर में दर्शा दिया गया है। जबकि उक्त तरमीम बदलने के संबंध में किसी भी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः उक्त त्रूटिपूर्ण तरमीम से मौके पर भारी विवाद हो गया है तथा वर्तमान में विप्रार्थीगण ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारियों को उनके कब्जे के भू–खण्ड से बेदखल किया जा रहा है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रभावित पट्टाधारी ही होंगे। यदि त्रूटिपूर्ण तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण को अपने भू–खण्डों से बेदखल किया जाता है तो इसे अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रार्थीगण आबादी भूमि में बसे हुए है, जिसकी तरमीम पुराने लट्ठा नक्शा में विद्यमान है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। वर्तमान में विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से मौजा राजड़ाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 357/245, 358/245, 359/245 रकबा क्रमशः 1.6187, 0.8056, 1.6187 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 245 रकबा 16.3736 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम के आधार पर नवीन पट्टे जारी नहीं किये जाने का [illegible] फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण के कब्जे वाले भू–खण्डों में किसी प्रकार की [illegible] दखलदांजी विप्रार्थीगण स्वयं या अपने अधीनस्थों से नहीं [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरुद्ध फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता [illegible] बहस को सुना एवं [illegible]ली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि उक्त विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थी को पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये हुए है तथा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा विवादित आराजी आबादी भूमि में होने का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है एवं तत्कालीन ग्राम सेवक द्वारा आराजी विवादरहित होने का प्रमाण पत्र जारी किया

उपखण्ड अधिकारी शिव

हुआ होने एवं बिना किसी भी सक्षम आदेश के तरमीम की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया त्रूटिपूर्ण तरमीम प्रतीत होती है एवं मौके पर विवाद होना भी स्वाभाविक है।

अतः आरजी तौर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राजड़ाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 357/245, 358/245, 359/245 रकबा क्रमशः 1.6187, 0.8056, 1.6187 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 245 रकबा 16.3736 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर में सरपंच, ग्राम पंचायत राजड़ाल के विरूद्ध मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने, वर्तमान विद्यमान तरमीम के आधार पर नवीन पट्टे जारी नहीं करने तथा विवादित आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करवाये जाने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण को तामिली हेतु नोटिस जारी होकर आईन्दा 27.12.2021 दिनांक को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

27.12.21 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली के मूल आवेदन में अधिवक्ता ब्रजमोहन कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी सं. 2 की ओर से विप्रार्थी पक्षकार 2 के जवाब तथा 1 के नोटिस का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 05.01.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, शिव

05.01.22 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली वास्ते विप्रार्थी सं. 2 के जवाब व 1 के नोटिस का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 24.01.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, शिव

24.01.22 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित [illegible] सं. 2 के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 [illegible] द्वारा 07R11 का प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible], जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ~~पत्रावली~~ वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु आइन्दा दिनांक 02.02.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

| | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .2.22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आइन्दा दिनांक 07.02.22 को पेश हो। | |
| 07.02.22 | पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10.3.22 को पेश हो। | |
| 10.3.22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते 07 R 11 के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु आइन्दा दिनांक 21.3.22 को पेश हो। | |
| 21.3.22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते 07 R 11 के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु आइन्दा दिनांक 25.3.22 को पेश हो। | |
| 25.3.22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब पेश किया गया, जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाते हुए शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते 07 R 11 के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु 01.4.22 को पेश हो। | |
| 01.4.22 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन [illegible] के दीगर कार्यों [illegible] के कारण इल्तवा होकर पत्रावली [illegible]नुसार आईन्दा दिनांक 11.4.22 को पेश हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित।

पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में आबादी भूमि के खसरा नम्बर 357/245, 358/254, 359/245 व गैर मुमकिन गौचर भूमि के खसरा नम्बर 245 लगायत आये हुए है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय का पूर्व से अस्थाई अंतरिम स्थगन जारी है। आबादी भूमि के पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी जारी किये हुए है। वर्तमान में उक्त आबादी भूमि की तरमीम बिना किसी न्यायालय व सक्षम आदेश के बदल दी गई है, जिससे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टाधारी आमजन का कब्जा गौचर भूमि में दर्शा रहा है। वर्तमान में ग्राम पंचायत में सरपंच मिलीभगत करते हुए उक्त गलत तरमीम के आधार पर पट्टे जारी करने पर आमादा है। यदि उक्त त्रूटिपूर्ण तरमीम के आधार पर यदि आमजन को बेदखल किया जाता है अथवा नवीन पट्टे जारी किये जाते है तो इससे मौके पर विवाद की स्थिति पैदा होगी। प्रार्थीगण को पूर्व में पट्टे जारी होने तथा मौके पर रहवासी घर सहित कब्जा होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि उक्त त्रूटिपूर्ण तरमीम के आधार पर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल आवेदन तक जारी रखते हुए कन्फर्म किया जावें।

विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि की तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकार केवल मात्र ग्राम पंचायत को ही है, किसी अन्य व्यक्ति में कोई अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा आबादी व गौचर भूमि पर जबरन कब्जा करने व भूमि हड़पने के नियत के उक्त तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश किया गया है, जिसका प्रार्थी अधिकारी नहीं है। जब ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को गौचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदातय दी गई, तब प्रार्थी द्वारा उक्त एकपक्षीय स्थगन जारी करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त स्थगन से ग्राम पंचायत के अनेक जनहित से संबंधित कार्य रूके हुए है तथा आमजनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थगन से निवासीयों को रहवासी पट्टे जारी नहीं हो रहे है तथा अन्य सरकारी कार्य जैसे ग्रेवड़ सड़क व विभिन प्रकार के कार्य प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी द्वारा ग्रेवल सड़क को रोकने हेतु रास्ता भी बंद कर रखा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन मात्र अपने निजी स्वार्थ हेतु पेश किया होने तथा प्रार्थी अकेला उक्त तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश करने का अधिकारी नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाकर प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थी [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है [illegible] वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम में [illegible] उक्त तरमीम किस सक्षम आदेश के तहत बदली गई है, के संबंध में विप्रार्थी अधिवक्ता अथवा ग्राम पंचायत द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी को पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होने तथा कब्जा होने के बावजूद यदि प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

होने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा मौके पर भारी तनाव व विवाद की स्थिति पैदा होगी। विवादित आबादी भूमि की तरमीम बिना किसी सक्षम आदेश एवं गलत होने पर प्रार्थी तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। साथ ही वर्तमान त्रूटिपूर्ण तरमीम के आधार पर यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये जाते है तो इससे भी मौके पर तनाव व विवाद होना स्वाभाविक है। उक्त स्थिति में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जाकर ताफैसला मूल आवेदन तक कंफर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल आवेदन क साथ हमफीता हो।

उपखण्ड अधिकारी, शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:44 IST
Reason: SelfAttested